



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276907
CG-DL-E-07102026-276907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5267]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5267]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5477(अ).—जबकि, मेसर्स वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड (“डब्ल्यूएफईपीएल”), जिसका पंजीकृत कार्यालय 602, छठी मंजिल, वेस्टर्न एज-1, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बोरीवली (पूर्व), मुंबई शहर, मुंबई- 400066, महाराष्ट्र भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “मेसर्स वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में इसकी 700 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए संपर्कता प्रदान करने हेतु पारेषण योजना” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/111/2025-PG दिनांक 09.12.2025 द्वारा के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “मेसर्स वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में इसकी 700 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए संपर्कता प्रदान करने हेतु पारेषण योजना” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड (“डब्ल्यूएफईपीएल”) ने स्थानीय समाचार पत्रों नवभारत (हिंदी में) दिनांक 29.12.2025, पुण्यनगरी (क्षेत्रीय भाषा) दिनांक 29.12.2025, बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी में) दिनांक 29.12.2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 04.04.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड (“डब्ल्यूएफईपीएल”) ने 31.08.2026

दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषित किया जाता है कि एक आपत्ति/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसकी विधिवत जांच की गई, उस पर उचित रूप से प्रत्युत्तर दिया गया तथा भारत सरकार के समाचार-पत्र/राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उनका निस्तारण कर दिया गया।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना " मेसर्स वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में इसकी 700 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए संपर्कता प्रदान करने हेतु पारेषण योजना" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

डब्ल्यूएफईपीएल (जनरेशन स्विचयार्ड, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अक्कलकोट तालुका के सलगर गाँव में स्थित है) – RGESL PSS4 (जनरेशन स्विचयार्ड, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अक्कलकोट तालुका के कोन्हाली गाँव में स्थित है) 400 kV S/c लाइन (D/c टावर पर) [लाइन की कुल लंबाई लगभग 21 km है।]

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन महाराष्ट्र राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव का नाम	तहसील	जिला
दोड्याळ, जेऊर, भागेहळी, कोन्हाळी, हलचिंचोली, करजळ, अक्कलकोट, शिवपुरी, रामपुर, हसापुर, हळहळी, दहिटणेवाडी, दहिटणे, हिंणणी, सांगवी, कळेगांव, शिरसी, सफाळे, शिरवळ, सदलापुर, सलगर, चिक्कहळी, बानजगोळ, हत्तीकणबस, निमगांव, ममदाबाद, गौडगांव	अक्कलकोट	सोलापुर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड ("डब्ल्यूएफईपीएल") को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- मेसर्स वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड ("डब्ल्यूएफईपीएल") को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा.सं. 25-16/88/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER
ORDER

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5477(E).—Whereas M/s Waaree Forever Energies Pvt Ltd (WFEPL), the applicant having its registered office at 602, 6th Floor, Western Edge-I, Western Express Highway, Borivali (East), Mumbai City, Mumbai- 400066, Maharashtra, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Providing connectivity of 700 MW to M/s Waaree Forever Energies Private Limited for its proposed Solar Power Plant in Solapur, Maharashtra."

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/111/2025-PG dated 09.12.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme of Providing connectivity of 700 MW to M/s Waaree Forever Energies Private Limited for its proposed Solar Power Plant in Solapur, Maharashtra."

M/s Waaree Forever Energies Pvt Ltd (WFEPL) had published notice for transmission scheme in local newspapers Navbharat (in Hindi) dated 29.12.2025, Punyanagari (Regional language) dated 29.12.2025, Business Standard (in English) dated 29.12.2025 and in Weekly Gazette of India dated 04.04.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently M/s Waaree Forever Energies Pvt Ltd (WFEPL), has submitted an affidavit dated 31.08.2026 declaring that one observation/representation was received, which was duly examined, suitably responded to, and resolved, within a period of two months from the date of publication of the Public Notice in the newspaper/Official Gazette of the Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme " Providing connectivity of 700 MW to M/s Waaree Forever Energies Private Limited for its proposed Solar Power Plant in Solapur, Maharashtra." The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. WFEPL (generation switchyard located in village Salgar, Taluka Akkalkot, District Solapur, Maharashtra) – RGESL PSS4 (generation switchyard located in Village Konhali, Taluka Akkalkot, District Solapur, Maharashtra) 400 kV S/c line (on D/c tower) [total line length is 21 km. (approx.)]

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Maharashtra:

Villages	Tehsil	District
Dodyal, Jeur, Bhagehalli, Konhali, Halchincholi, Karjal, Akkalkot, Shivapuri, Rampur, Hasapur, Halhalli, Dahitanewadi, Dahitne, Hingani, Sangavi, Kalegaon, Shirasi, Safale, Shirwal, Sadalapur, Salgar, Chikkkahalli, Banjgol, Hattikanbas, Nimgaon, Mamdabad, Goudgaon	Akkalkot	Solapur

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Waaree Forever Energies Pvt Ltd (WFEPL) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Waaree Forever Energies Pvt Ltd (WFEPL) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/88/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secretary (PG)